

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

का०आ० संख्या-01/स्था०क्षे०-307/2026-

पटना, दिनांक जुलाई, 2026

कार्यालय आदेश

श्री दीपक कुमार मिश्रा, ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज को सेवा में आने के पूर्व में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची (झारखंड) से अनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग में पंजीकृत PhD की उपाधि पूर्ण करने हेतु दिनांक-01.07.2026 से 31.10.2026 तक कुल (4) चार माह असाधारण छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की गई, परन्तु पुनः उनके द्वारा आवेदन समर्पित करते हुए अनुरोध किया है कि नामांकन हेतु दिनांक-01.11.2026 से 31.12.2026 तक कुल दो माह की असाधारण छुट्टी विस्तार करने की आवश्यकता है।

अतः श्री दीपक कुमार मिश्रा, ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज को नामांकन हेतु बिहार सेवा संहिता-236 के आलोक में दिनांक-01.07.2026 से 31.10.2026 तक कुल 4 माह की स्वीकृत असाधारण छुट्टी को दिनांक-31.12.2026 तक विस्तारित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०क्षे०-307/2026-

पटना, दिनांक जुलाई, 2026

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०क्षे०-307/2026-

पटना, दिनांक जुलाई, 2026

प्रतिलिपि :- उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज/श्री दीपक कुमार मिश्रा, ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०क्षे०-307/2026-1432

पटना, दिनांक 22 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि :- आई.टी.प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित को करने हेतु प्रेषित।

Rajesh Ji/

सरकार के अवर सचिव।